प्रेस विज्ञप्ति
14/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के क्रम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर ज़हूर शाह और नीरज शर्मा तथा मेसर्स पर्पल मार्टिनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक राजेश कुमार के परिसरों में चलाया गया।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा यशवंत सावंत और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कथित तौर पर सर्वेक्षण संख्या 496/1-ए, अंजुना, गोवा में स्थित भूमि के लिए अंजुना के समुदाय से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि *अनंतिम कब्जे का प्रमाण-पत्र* दिनांक 26.01.1952, *सीमांकन की कार्यवाही* दिनांक 16.01.1958, और *अंतिम कब्जे का प्रमाण-पत्र* दिनांक 24.09.1952, क्योंकि अंजुना के कोमुनिडाड के कार्यालय या कोमुनिडाड के प्रशासक के कार्यालय, उत्तर क्षेत्र, मापुसा-गोवा द्वारा संबंधित अधिकारियों के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज कभी जारी नहीं किया गया था, ताकि उक्त भूमि को उनके नाम पर म्यूटेशन किया जा सके और बाद में इसके कुछ हिस्सों को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया जा सके, जिससे अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई।

इससे पहले, दिनांकः 09.09.2025 को, ईडी ने तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप शिवशंकर मायेकर और अन्य द्वारा अपने मित्रों और रिश्तेदारों के नाम पर धोखाधड़ी से अर्जित कई ज़मीनों की पहचान हुई थी। कई लाख वर्ग मीटर में फैली ये संपत्तियाँ गोवा के बर्देज़ तालुका के अंजुना और असगाओ जैसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में स्थित हैं। आरोपियों द्वारा अवैध रूप से हड़पी गई ज़मीनों का कुल बाजार मूल्य 1,200 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। पूर्ववर्ती तलाशी अभियानों के दौरान, लगभग 72 लाख रुपये की नकदी ज़ब्त की गई थी, और सात महंगी गाड़ियाँ जैसे पोर्श केमैन, बीएमडब्ल्यू 650 लीटर, रेंज रोवर, मर्सिडीज़ बेंज, बीएमडब्ल्यू एम5, ऑडी ए-6 आदि ज़ब्त की गई थीं। इन लेन-देन में शामिल व्यक्तियों के कई बैंक खाते/सावधि जमा भी फ्रीज़ कर दिए गए थे।

इसके बाद, शिवशंकर मायेकर को इन भू-खंडों के अवैध अधिग्रहण में संलिप्तता के आरोप में 01.10.2025 को गिरफ्तार किया गया और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

हाल ही में की गई तलाशी के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए, जिनमें गोवा में जाली स्वामित्व दस्तावेज़ों का उपयोग करके धोखाधड़ी से हासिल किए

गए कई भू-खंडों से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) और पट्टा समझौते शामिल हैं। ये दस्तावेज़ भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल प्रमुख व्यक्तियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बीच तैयार किए गए थे। अतिरिक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने और गोवा में भूमि संबंधी अवैध गतिविधियों की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।

इसके अतिरिक्त, तलाशी में लगभग 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी वाले 6 विकेन्द्रीकृत क्रिप्टो वॉलेट मिले, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान गोवा के एक प्रमुख क्लब से कथित तौर पर प्राप्त नकदी को भूमि हड़पने में शामिल प्रमुख व्यक्तियों से जुड़े विभिन्न भूमि भूखंडों में निवेश करने के संकेत देने वाले नोट्स और डिजिटल रिकॉर्ड भी बरामद किए गए।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।